"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016— श्रावण 14, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-8/2005/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 31क एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	आवश्यक अर्हता तथा अन्य अनुभव जिससे पद में पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 क	स्टाफ नर्स/ नर्सिंग सिस्टर/ सहायक नर्सिंग अधीक्षक	प्रदर्शक (शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय)	भारतीय नर्सिंग कौंसिल के प्रचलित मानक अनुसार (बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.एस. सी. नर्सिंग)	1.अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी – **अध्यक्ष** 2.प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – **सदस्य** 3.संचालक चिकित्सा शिक्षा– **सदस्य** 4.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक प्रतिनिधि – **सदस्य**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 21-8/2005/नौ/55.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-8-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd August 2016

NOTIFICATION

No. F. 21-08/2005/NINE/55.— In excercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Medical Education (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules, -

For Serial number 31 A and entries relating thereto of Schedule – IV, the following shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of services or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Essential qualification and other experience in the post from which promotion is to be made	Name of members of Departmental Promotion Committee
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
31 A	Staff Nurse/ Nursing Sister/ Assistant Nursing Superitendent	Demonstrator (Government Nursing College)	As per current norms of Indian Nursing Council (B.Sc. Nursing, Post Basic B.Sc. Nursing, M.Sc. Nursing)	1.Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission or nominated candidate by him. - **Chairman** 2.Principal Secretary/ Secretary, Government of Chhattisgarh Health and Family Welfare Department - **Member** 3.Director Medical Education – **Member** 4.One representative of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Category – **Member**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. K. VERMA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.